P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-9* December 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भारतीय संविधान निर्माण में सरदार पटेल की भूमिका

बबली राम बैरवा
शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान विभाग,
जय नारायण व्यास
विश्वविद्यालय,
जोधपुर (राज)

सारांश

02 सितम्बर, 1946 में अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई ने देश के गृहमंत्री पद की शपथ ली तथा इस पद पर रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य किए। संविधान निर्माण में भी सरदार पटेल ने नेतृत्वकारी एवं निर्णायक भूमिका का निर्वाह किया था। वे संविधान निर्मात्री सभा की तीनों उपसमितियों के अध्यक्ष भी रहे थे। सरदार पटेल ने अल्पसंख्यक समिति में, अल्पसंख्यकों के संरक्षण का विरोध किया था। प्रांतीय संविधान समिति के द्वारा उनके विचारों को संविधान में समाविष्ट किया गया था। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पडने पर राष्ट्रपति राज्यों का शासन अपने हाथों में ले सकता है। अतः उन्होंने केंद्र–राज्य संबंधों को स्पष्ट किया था। सरदार पटेल ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने में अहम भूमिका निभायी थी। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन। जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष व्यवस्थाओं से संबंधित अनुच्छेद–370 के प्रावधान। इसके लिये उन्हें बहुत से ऐतिहासिक निर्णय लेने पड़े थे, वे सदैव अनुकरणीय हैं। यह शोध पत्र पूर्णतः द्वितीयक अध्ययन स्रोतों पर आधारित है।

मुख्य शब्द : प्रशासनिक, नेतृत्वकारी, निर्णायक, अल्पसंख्यक, साम्प्रदायिकता, बुद्धिमत्ता, धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र एवं न्यायपूर्ण दृढ़ता तथा सामंजस्य तथ्य, अवधारणा आदि।

प्रस्तावना

संविधान सभा में सरदार पटेल ने तीन महत्वपूर्ण उपसमितियों जिनमें प्रथम मौलिक अधिकारों की उपसमिति, द्वितीय प्रांतीय संविधान समिति तथा तृतीय अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। इन तीनों उपसमितियों के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने नेतृत्वकारी एवं निर्णायक भूमिका का निर्वाह किया था। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों के विकास में भी सरदार पटेल का योगदान निर्णायक रहा जैसे–शक्तिशाली केंद्र की स्थापना, संविधान की संकटकालीन व्यवस्था, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन, देशी राज्यों का एकीकरण, सरकारी योजनाओं से संबंधित धाराएं, जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष व्यवस्थाओं से संबंधित अनुच्छेद–370 के प्रावधान तथा भाषा नीति में भूमिका रही थी।[1] अतः संविधान निर्माण में सरदार पटेल एक निर्णायक तथा मुख्य भूमिका की भूमिका की भांति कार्य करते हैं। संविधान सभा में सरदार पटेल के बहुमुखी योगदान की प्रशंसा करते हुए एच. वी. कामत ने लिखा कि "जवाहरलाल नेहरू ने सविधान सभा को एक नई चेतना और संभवतः विश्वव्यापी रूप दिया, जबकि सरदार पटेल ने उसे व्यावहारिक एवं यथार्थवादी मार्गदर्शन दिया था।"[2] अतः सरदार पटेल ने अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायपूर्ण दृढ़ता एवं सामंजस्य विचारों से संविधान सभा में अनेकों पहलुओं पर तर्क वितर्कों के आधार पर संविधान में सम्मिलित करवाया था। यह शोध पत्र पूर्णतः द्वितीयक अध्ययन स्रोतों पर आधारित है।

शोध के उद्देश्य

1. संविधान निर्माण में सरदार पटेल की भूमिका का अध्ययन करना।
2. अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष के रूप में सरदार पटेल की भूमिका को जानना।
3. सरदार पटेल की मौलिक अधिकारों की उपसमिति के अध्यक्ष के रूप में भूमिका को जानना।
4. प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में सरदार पटेल के लिए गए निर्णय का अध्ययन करना।
5. सरदार पटेल की हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने में अहम भूमिका का का अध्ययन करना।
6. सरदार पटेल की जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष व्यवस्थाओं से संबंधित अनुच्छेद–370 के प्रावधान को जानना।

साहित्यावलोकन

प्रो. एस.एम. चाँद एवं डॉ. इकबाल फातिमा ने *सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवन और विचार,* पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2010, नामक पुस्तक में सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व, राजनीतिक संघर्षों, विचारों, उपलब्धियों, सरदार पटेल की परिवार की स्थिति तथा छात्र जीवन का वर्णन, त्याग व बलिदान की मूर्ति भावना तथा देश की आजादी में सहयोग, 1919 का रौलेक्ट एक्ट का विरोध, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन में भाग, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार तथा युवाओं को देशी अपनाने का आग्रह किया, 1923 के नागपुर में झंडा आंदोलन में भागीदारी, बोरसद सत्याग्रह का सफल नेतृत्व, 1931 का करांची अधिवेशन की अध्यक्षता करना, 1936 वर्धा में कांग्रेस पार्लियामेंट्री समिति का अध्यक्ष के रूप में कार्य, गृह मंत्री के रूप में प्रमुख कार्य छोटी बड़ी 550 से अधिक देशी रियासतों का एकीकरण कर एक विशाल और नवीन भारत का निर्माण करना आदि का वर्णन किया गया है।

डॉ. रविन्द्र कुमार ने *सरदार पटेल के प्रमुख,* कल्पाज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2014, नामक पुस्तक में सरदार पटेल द्वारा अपने जीवन में विभिन्न पदों पर रहते हुए लिए गए प्रमुख निर्णयों तथा स्वतंत्रता के बाद देश के नव–निर्माण में सरदार पटेल के योगदान, बारदोली किसान आंदोलन, कांग्रेस संसदीय समिति के अध्यक्ष 1934 पर रहते हुए लिए गए, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानुसार प्रांतीय विधान सभाओं के चुनावों का संचालन, संविधान सभा मंत्रिमण्डल में अम्बेड़कर का पुनः मंत्री बने रहना, अक्टूबर, 1947 में कश्मीर का भारत में विलय, भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं पुलिस सेवा का गठन, सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण, गांधी सार विधी, कमला नेहरू अस्पताल की रूपरेखा, हैदराबाद की समस्या को सैनिक कार्यवाही के द्वारा ही हल करना, 1909 में मार्ले–मिंटो सुधारों के तहत साम्प्रदायिकता के आधार पर चुनाव व्यवस्था का भी विरोध, हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का विवरण इस पुस्तक में दिया गया है।

डॉ. एन. सी. मेहरोत्रा एवं डॉ. रंजना कपूर ने *''सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्तित्व एवं विचार,''* आत्माराम एण्ड सन्स प्रकाशन, दिल्ली, 2012 नामक पुस्तक में सरदार पटेल की राजनीतिक भूमिका, राजनीतिक जीवन से सम्बधित उपेक्षित महत्वपूर्ण तथ्यों के वर्णन के साथ बताया है कि सरदार पटेल बचपन से ही साहसी एवं बुद्धिमान विद्यार्थी थे। सरदार पटेल में त्याग की भावना, सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति, उनकी कर्त्तव्यनिष्ठा तथा स्थानीय क्षेत्र में भी योगदान, खेड़ा आंदोलन का सफल नेतृत्व, 1919 में सरदार पटेल ने सरकार की रौलेक्ट एक्ट का विरोध, 1922 में गाँधीजी के असहयोग आंदोलन में भाग, 1921 में स्वदेशी के आंदोलन के लिए अहमदाबाद में विदेशी कपड़ों की होली जलाना, 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह के संचालन करना, 1928 में किसानों की लगान बढ़ोतरी के खिलाफ बारदोली सत्याग्रह, 31 मार्च, 1930 को काँग्रेस के करॉंची अधिवेशन की अध्यक्षता करना, गृहमंत्री पद पर रहते हुए देशी राज्यों का एकीकरण तथा अखिल भारतीय सेवाओं का संचालन करना, सामाजिक कार्यों में उन्होंने हिंदु–मुस्लिम एकता तथा जाति प्रथा एवं स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने का जोर दिया था आदि का उल्लेख है।

रविन्द्र कुमार ने *सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामाजिक व राजनीतिक विचार,* मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1991, नामक पुस्तक में सरदार पटेल के राजनीतिक जीवन, सार्वजनिक जीवनी, विभिन्न आंदोलनों में सहयोग, एक कुशल नेता व प्रशासन तथा उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों, किसानों के लिए 1917 खेड़ा सत्याग्रह, 1919 में सरदार पटेल को अहमदाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में कार्य, राजनीति में प्रवेश, गाँधीजी के साथ 1920 में असहयोग आंदोलन, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं तथा भारतीय पुलिस सेवाओं का गठन, 554 से अधिक देशी रियासतों को शांतिपूर्वक भारत संघ में विलय, धर्मिक साम्प्रदायिकतावादी दृष्टिकोण, भारत की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिये भारत–पाकिस्तान विभाजन आदि सभी कारणों का वर्णन है।

भारत को ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरण के बाद भारत का संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा की स्थापना की गई। सन् 1945–46 के चुनावों ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय राजनीति में काँग्रेस का प्रभाव सर्वोपरि है क्योंकि इस चुनाव में काँग्रेस ने 91.3 प्रतिशत गैर मुस्लिम स्थान प्राप्त किए। जबकि मुस्लिम लीग ने 86.6 प्रतिशत मुस्लिम स्थान प्राप्त किए तथा मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया और अकाली एवं निर्दलीय दल प्रभावहीन रहे थे। अतः संविधान निर्माण में काँग्रेस की भूमिका ही निर्णायक रही थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति एवं प्रसिद्ध विधिवेक्ता, अनंतशयनम् आंयगकर, जॉन मथाई जैसे प्रसिद्ध विद्वान एवं विधि विशेषज्ञों आदि का भी संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।[3] सविधान निर्माण हेतु एक प्रारूप समिति का निर्माण किया जिसके अध्यक्ष डॉ भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था।

भारत के संविधान निर्माण में अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों एवं महान नेताओं के साथ काँग्रेस के सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू आदि की भी प्रमुख भूमिका रही। सरदार पटेल ने अपनी बुद्धिमत्ता, धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र एवं न्यायपूर्ण दृढ़ता तथा सामंजस्य विचारों से संविधान सभा में अनेकों पहलुओं पर तर्क वितर्कों के आधार पर संविधान को निर्णायक स्थिति में पहुँचाया तथा वास्तविक निर्णायक बनने का गौरव भी प्राप्त किया था। संविधान सभा में सरदार पटेल के बहुमुखी योगदान की प्रशंसा करते हुए एच. वी. कामत ने लिखा कि ''जवाहरलाल नेहरू ने सविधान सभा को एक नई चेतना और संभवतः विश्वव्यापी रूप दिया, जबकि सरदार पटेल ने उसे व्यावहारिक एवं यथार्थवादी मार्गदर्शन दिया था।''[4] अतः सरदार पटेल ने अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायपूर्ण दृढ़ता एवं सामंजस्य विचारों से संविधान सभा में अनेकों पहलुओं पर तर्क वितर्कों के आधार पर संविधान में सम्मिलित करवाया था।

सरदार पटेल को संविधान सभा की मौलिक अधिकारों की उपसमिति के अध्यक्ष होने के नाते उन्हें राजर्षि पुरुषोदास टंडन, के. एम. मुंशी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, अनंतशयनम् अय्यंगर, के. टी शाह आदि विभिन्न विचारधाराओं वाले व्यक्तियों के समक्ष मौलिक अधिकारों के मुद्दों को लेकर जोरदार तर्क वितर्क करना पड़ा था। उन्होंने संविधान में प्रेस व मानवीय स्वतंत्रता, विभिन्न समानताएं, शोषण मुक्ति की अवधारणाएं, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकारों को प्रदान करने की व्यवस्था की। उनका दृष्टिकोण था कि ''राष्ट्र की स्थिति और अखंडता को बनाए रखने के लिए किसी भी कीमत पर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की लोक व्यवस्था व सुरक्षा करना अति आवश्यक है।'' अतः 29 अप्रैल, 1947 को उन्होंने मौलिक अधिकारों से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रस्ताव रखा कि ''हम इन अधिकारों को संविधान के अंतर्गत न्याय योग्य बनाने पर अधिकतम महत्व दें। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं नवीनतम प्रजातांत्रिक संविधानों में विशेष उपायों सहित नागरिक अधिकार संविधान की छवी प्रदर्शित करते हैं।''[5] अतः उनके कथनों से प्रभावित होकर ही संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद–32 के तहत वैधानिक उपचारों के अधिकार को सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का कानूनी सरंक्षण संभव हो सका है।

सरदार पटेल संविधान सभा में सर्वाधिक सक्रियता तथा उत्साहपूर्णता से जिस धारा में भाग लिया वह ''संपत्ति विषयक अधिकारों के संरक्षण'' से संबंधित थी। सरदार पटेल को कांग्रेस के जमींदारी–उन्मूलन के विचार और नीति के साथ संरक्षण का सामंजस्य बिठाने में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था क्योंकि कांग्रेस के नेता तथा स्वयं पटेल आदि का मानना था कि विधानसभाओं को व्यापक राष्ट्रीय हित में भूमि अधिग्रहण करने और मुआवजा तय करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। मुआवजे का औचित्य राज्य की क्षमता तथा संपत्ति अधिग्रहण करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, जबकि अन्य नेता किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं देने के पक्ष में थे। परंतु स्वयं सरदार पटेल चाहते थे कि ''किसी भी व्यक्तिगत भूमि का अधिग्रहण बिना उचित मुआवजा देना चोरी तथा डकैती के समान है।'' उनका मानना था कि राज्यों का उत्तरदायित्व है कि ''वह भूमि के अधिकारों को सुरक्षित करें और वास्तव में जब भी कभी उन्हें जनहित में भूमि ग्रहण करने की आवश्यकता हो तो उचित मुआवजा देकर ही लें।''[6] यदि फिर भी भूस्वामी मालिक को मुआवजा अनुचित लगे तो उन्हें न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार हो। अतः उनका यह जनहित तथा समानता की भावना को दर्शाता है।

इस धारा पर कांग्रेस पार्टी की बैठकों में गंभीर वाद विवाद चल रहा था। उसी दौरान सरदार पटेल बीमार चल रहे थे। अतः उन्होंने अपना संदेश भेजा था। तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई ने सरदार पटेल के पक्ष का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया और उनके दृष्टिकोण को अस्वीकार करने की स्थिति में पद से त्यागपत्र देने की इच्छा प्रकट की। अंत में काफी तर्क वितर्कों के बाद सभा ने ''संपत्ति के अधिकार को संविधान द्वारा संरक्षित तथा मुआवजे हेतु उसे विधि न्यायालय में अपील की परिधि में रखा।'' एक मध्यम मार्ग निकालकर जिसके द्वारा व्यवस्था की गई की जमींदारी उन्मूलन संबंधी धारा को संपत्ति के मूल अधिकारों संबंधी धारा से अलग किया जाए।[7] अतः इस प्रकार से उसका समावेश एक ऐसी विशेष धारा में कर लिया गया जिससे भूमि सुधार संबंधी विधि के विषय में न्यायालय के अधिकार को स्पष्ट रूप से ही बना दिया गया। अतः हम कह सकते हैं कि यह कार्य सरदार पटेल की दृढ़ इच्छाशक्ति तथा भूमि मालिकों की समस्याओं के प्रति लगाव का परिणाम था।

प्रांतीय संविधान की उपसमिति के अध्यक्ष के रूप में सरदार पटेल ने एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना पर बल दिया था। सर्वप्रथम सरदार पटेल ने प्रांतीय सरकारों की स्थिति का वर्णन करते हुए यह व्यवस्था प्रस्तावित की कि ''प्रांतीय शक्तियों पर एक सुदृढ़ रोक केंद्र सरकार द्वारा अति आवश्यक है क्योंकि इतिहास साक्षी है, जब–जब केंद्र दुर्बल हुआ है, देश की अखंडता पर आंच आई है।''[8] अतः इसी व्यवस्था के तहत यह प्रावधान किया गया है कि **''**कानून और व्यवस्था न रहने की स्थिति अर्थात् सविधान तंत्र के असफल होने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद–356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए।**''**[9] अर्थात् प्रांतों की शासन व्यवस्था केंद्र के हाथों में हो। अतः केंद्र का अधिक शक्तिशाली होना तथा राज्यों को ज्यादा स्वतंत्रता देना सरदार पटेल का दृढ़ निश्चय था।

राज्यपाल की स्थिति का वर्णन

राज्यपालों की प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा के संबंध में सरदार पटेल ने एक फार्मूले की रचना की जिसके द्वारा राज्यपाल अपनी संवैधानिक स्थिति को हानि पहुंचाए बिना रचनात्मक भाग अदा कर सके। वह एक और मंत्रिमंडल को सलाह दे तथा दूसरी ओर केंद्र एवं राज्यों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करें।[10] राज्यपाल के चुनाव का राष्ट्रपति द्वारा करने का भी इसलिए बदला गया ताकि वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदाई रहते हुए केंद्र राज्यों के मध्य कड़ी का कार्य कर सके। जबकि गोविंद बल्लभ पंत ने तो राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर एक उपराज्यपाल के पद का भी विकल्प प्रस्तुत किया था कि प्रत्येक राज्य में एक उपराज्यपाल हो वह प्रत्येक सामान्य चुनाव के बाद प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा राज्य व्यवस्थापिका द्वारा चुना जाए। अतः उपराज्यपाल का मुख्य कार्य राज्यपाल की अचानक अनुपस्थिति को पूर्ण करना तथा उसकी अनुपस्थिति में सभी कार्यों का सुचारू रूप से संचालन करना होगा। परंतु यह पद सर्जन ही अनावश्यक था, क्योंकि अगर राज्यपाल का पद अचानक रिक्त होता है तो उसके स्थान पर राष्ट्रपति कार्य संभालता है तथा अंतिम काल में राज्य उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस कार्य को पूर्ण करते हैं। इसके अलावा पंतजी ने उपराज्यपाल के चुनाव का जो सुझाव दिया वह अनुचित था क्योंकि निर्वाचन की स्थिति में वह सुनने वाली सभा का प्रतिनिधि बनाता तथा राज्यपाल की स्थिति चूंकि एक

कड़ी के रूप में है। अतः उपराज्यपाल की स्थिति केंद्र की बजाय राज्य विधान मंडल की ओर झुकी रहेगी। अतः उनके प्रस्ताव को इन सभी कारणों को देखते हुए अस्वीकार कर दिया क्योंकि राज्यपाल का पद केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में एक सुदृढ़ केंद्र की स्थापना के उद्देश्य से किया गया था।[11] अतः सरदार पटेल की उन सभी धाराओं की सिफारिशों को प्रांतों के सभी मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया जो शक्तिशाली केंद्र को जन्म देने एवं मजबूती प्रदान करने में सहायक बनी तथा राज्यपाल को राजनीति से दूर रखा गया।

राष्ट्रपति की स्थिति का वर्णन

एक बार राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरदार पटेल (प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष) तथा जवाहरलाल नेहरू (संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष) के मध्य असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू की इच्छा थी कि राष्ट्रपति के चुनाव केवल संसद के सदस्यों के द्वारा ही किया जाए। अगर ऐसा होता तो वह केवल सदन के नेता के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत व्यक्ति बन कर रह जाते। अतः सरदार पटेल ने इस मुद्दे को प्रांतीय संविधान समिति के समक्ष रखते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी। सरदार पटेल ने राष्ट्रपति की स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया कि "चूंकि राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्य दोनों की व्यवस्थापिकाओं का संरक्षक है। अतः उसका चुनाव भी केंद्र तथा राज्य दोनों के सदस्यों द्वारा ही होना चाहिए।" वास्तव में मामला गंभीर तथा सोचनीय योग्य था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की कृपा पात्र ही बन जाए अथवा पूरे देश की एकता और प्रजा का प्रतीक बने? मुद्दा विवाद की स्थिति में दोनों समितियों की संयुक्त सभा को भेजा गया। इस समस्या के समाधान के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया। जिसमें सुप्रसिद्ध कानूनविद् के. एम. मुंशी, गोपालस्वामी आय्यंगर तथा प्रसिद्ध न्यायविद् सर कृष्णस्वामी अय्यर आदि संविधान विशेषज्ञ आदि थे। इन सभी विशेषज्ञों ने विचार–विमर्श कर सरदार पटेल के दृष्टिकोण को प्रदान किया और इस प्रकार राष्ट्रपति मात्र संसद में प्रधानमंत्री की कटपुतली नहीं बन कर देश की एकता तथा संपूर्ण प्रजा का प्रतीक बन सके।[12] अतः उसका चुनाव समस्त जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों सांसद तथा संविधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा संभव हो पाया। अब यह व्यवस्था वास्तविक रूप से जनता के प्रतिनिधित्व को दर्शाती है।

निर्वाचन आयोग की सिफारिश

सरदार पटेल ने राज्य में स्थिरता, दृढ़ता तथा न्याय के लिए निष्पक्ष तथा साफ–सुथरे चुनावों की आवश्यकता पर बल देते हुए संविधान सभा में सुझाव दिया कि इस विषय में मेरा मानना है कि "समिति को एक संस्तुति करनी चाहिए जिसमें निश्चिततापूर्ण स्वतंत्र चुनावों की आशा से संघ के राष्ट्रपति द्वारा एक चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाए, ताकि समस्त राज्यों में साफ–सुथरे चुनाव हो सके।" परिणामस्वरूप ऐसा ही हुआ संघीय संविधान समिति तथा सरदार साहेब की अध्यक्षता वाली प्रांतीय संविधान समिति की संयुक्त सभा में प्रांतीय संविधान समिति ने देश की शासन व्यवस्था को निर्णायक बनाया। इसकी घोषणा करते हुए संयुक्त सभा की ओर से सरदार पटेल ने 15 जुलाई 1947 को संविधान सभा में कहा कि "दोनों समितियां प्रांतीय संविधान समिति द्वारा प्रस्तावित इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में एकमत हो गई है कि एक संसदात्मक व्यवस्था या केबिनेट होगी।"[13] अतः सरदार पटेल की दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम था।

हिंदी को राजभाषा लागू कराने में सरदार पटेल की भूमिका

हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने में सरदार पटेल की मुख्य तथा निर्णायक भूमिका रही। जब राजर्षि टंडन ने राष्ट्र भाषा के रूप में संविधान सभा के समक्ष हिंदी के पक्ष में जबरदस्त समर्थन किया। भारतीय संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने में कुछ संशय की स्थिति थी। काफी वाद–विवाद के बाद यह लिया गया कि "मिली जुली हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारते हुए प्रयोग में लाए जाने वाले हिंदी अंकों के स्थान पर अरबी अंको को भी मान्य किया जाए।" सरदार पटेल ने उक्त दोनों बातों के संबंध में अपने प्रभाव का किया सर्वप्रथम उन्होंने अरबी वर्णमाला तथा भाषा के मिले–जुले स्वरूप के संबंध में कहा कि "कुछ लोगों द्वारा चलाई गई मिली जुली भाषा को स्वीकारने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता जिसमें हिंदी के अंकों के स्थान पर अरबी अंक स्वीकारने की संस्तुति की गई है।'' सविधान सभा में उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि "हिंदी भारत की राष्ट्रीय अथवा राजभाषा होगी और होनी चाहिए।" इस प्रश्न पर कोई विरोध नहीं रहने दे सकते।[14] उनके संदेश के बाद सब कुछ शांत हो गया क्योकि उनका पक्ष मजबूत था जिसके सकारात्म परिणाम रहे।

सरदार पटेल प्रारंभ से ही राष्ट्रभाषा के पक्षधर थे। इसे वे राष्ट्रीय एकता में सहायक समझते थे। जब वे रांची कांग्रेस के अध्यक्ष बने तभी से हिंदी में कामकाज करने हेतु प्रोत्साहन दिया तथा उनकी अध्यक्षता के पहले के काँग्रेस के सभी प्रस्ताव का उन्होंने हिंदी में अनुवाद कराया था। हिंदी के प्रति उनका दृष्टिकोण उनके शब्दों से ज्ञात होता है। "हर व्यक्ति का यह कर्त्तव्य हैं कि वह राष्ट्रभाषा हिंदी की उन्नति करें और उसकी सेवा करें कि जिससे सारे भारत में वह बिना किसी संकोच या संदेह स्वीकृत हो जाएँ। हिंदी का पट भी महासागर की तरह ऐसा विस्तृत होना चाहिए कि जिस में मिलकर और भाषाएं अपना बहुमूल्य भाग ले सकें। राष्ट्रभाषा ना तो किसी प्रांत की और न ही किसी जाति की है, वह संपूर्ण भारत की भाषा और उसके लिए यह आवश्यक है कि सारे भारतीय लोग उसे समझ सके और अपनाने का गौरव हासिल कर सके।" उनका मानना था कि ऐसी भाषा जिसमें देश की एकता एवं उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण देशवासियों की व्यावहारिक रूप से जोड़ने की क्षमता हो।[15] इसके बाद संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया था। अतः हिंदी ने राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में सभी देशवासियों को जोड़ने का कार्य किया है।

जम्मू कश्मीर की धारा 370 के प्रावधान

जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 भी सरदार साहब की सफलता तथा

निर्णायक भूमिका का परिणाम है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद–370 भारत के साथ जम्मू कश्मीर राज्य के संबंधों की व्याख्या करता है। अर्थात् इसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू तथा शेख अब्दुल्ला के परामर्श के आधार पर गोपाल स्वामी आय्यंगर ने इस अनुच्छेद–370 की व्यवस्था का प्रावधान किया था। जिसके लिए उन्हें दलों के कई सदस्यों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। सिद्धांत की दृष्टि से कॉंग्रेस का मत था कि "कश्मीर को केवल उन्हीं मूलभूत व्यवस्थाओं अथवा शर्तों के साथ संविधान में स्वीकार करना चाहिए, जिन शर्तों पर अन्य राज्यों ने उसे स्वीकार किया है।"[16] जबकि विशेष दल का इस बात में भी विरोध था कि मूलभूत धाराएं अर्थात मौलिक अधिकारों से संबंधित धाराएं जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू क्यों नहीं होंगी? इस दौरान जवाहरलाल नेहरू विदेश प्रवास पर थे तथा श्री गोपालस्वामी आय्यंगर कॉंग्रेस दल को संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दे सके। तब नेहरूजी की अनुपस्थिति में सरदार पटेल ने दल को संतुष्ट करने का कार्य अपने हाथों में लिया। इसके पश्चात् उन्होंने कॉंग्रेसी नेताओं को संतुष्ट करते हुए इस प्रस्ताव में कुछ परिवर्तन करते हुए, प्रस्ताव को स्वीकार करा लिया था।[17] इसके बाद इस प्रस्ताव पर विधानसभा में कोई चर्चा नहीं हुई। इस घटना से पता चलता है कि सरदार पटेल का दल पर कितना प्रभाव था तथा विधानसभा में उनकी क्या भूमिका रही थी।

संविधान की अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष के रूप में सरदार पटेल ने सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों को समाप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अल्पसंख्यकों के लिए किसी भी रूप में पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग को सरदार पटेल ने दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि "हमने सर्वप्रथम जो मुद्दा हाथ में लिया वह है, प्रथक निर्वाचन का। हमने इस मुद्दे को सबसे अहम समझा क्योंकि वह जितना अल्पसंख्यकों के हितों का है, उतना ही देश के राजनीतिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। अत्यंत गहरे मतभेद तथा विचार–विमर्शो के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पृथक निर्वाचन प्रणाली में नए संविवधान में बंद कर दी जाए।"[18] उन्होंने मुस्लिम लीग के सदस्यों को जवाब देते हुए कहा कि "मेरा यह मत है कि जब पाकिस्तान की स्थापना मान ली गई है तो दो राष्ट्रों का सिद्धांत भारत के लिए नहीं रहा। विश्व में एक भी प्रजातांत्रिक राष्ट्र नहीं है, जहां निर्वाचन प्रथा का आधार धर्म हो। वह प्रणाली जिसे पहले अपनाया गया था और जिसके परिणाम स्वरूप देश के टुकड़े हो गए। यदि फिर वही अपनाई गई तो जो ऐसा चाहते हो। उनके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, पाकिस्तान में भले ही हो।"[19]

27 अगस्त, 1947 को संविधान सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सरदार पटेल ने तीन प्रमुख प्रस्ताव प्रस्तुत किए–1. केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के समस्त चुनाव संयुक्त निर्वाचन के आधार पर होंगे। 2. प्रदान किए गए सामान्य नियमानुसार सूची में प्रकट अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण विभिन्न व्यवस्थापिका भाषाओं में उनकी जनसंख्या के आधार पर होगा। 3. इस प्रकार प्रदान किया गया आरक्षण 10 वर्ष की अवधि के लिए होगा। लेकिन अवधि समाप्त होने के पूर्व उस पर पुनर्विचार किया जा सकेगा।"[20] सरदार पटेल ने एंग्लो इंडियन के प्रति उदारता का परिचय देते हुए संविधान में यह व्यवस्था की कि यदि वे सामान्य चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर सके तो संघ का राष्ट्रपति एवं राज्य के राज्यपाल को उनके प्रतिनिधित्व को केंद्र तथा राज्यों की व्यवस्थापिका सभाओं में मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार सविधान के वर्तमान अनुच्छेद 331 व 333 इनके लिए सुरक्षित हैं। इन धाराओं के लिए एंग्लो इंडियन के प्रति सरदार पटेल की उदारता व न्याय प्रियता के प्रति उनका आभार प्रकट करते हुए श्री फ्रेंक एन्थोनी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 331 व 333 इस प्रकार वर्तमान व्यवस्थापिकाओं में जारी है। 26 मई 1949 को संविधान सभा में सरदार पटेल ने जो भाषण दिया उसकी संविधान सभा के सदस्यों ने भूरी–भूरी प्रशंसा की।[21] अतः सरदार का यह अल्पसंख्यकों के सच्चे मित्र के भाव प्रकट करते हैं।

इस प्रकार 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां के साथ अंततः विश्व का विशालतम गणतंत्र संविधान डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली संविधान सभा द्वारा इन शब्दों के साथ पूर्ण हुआ "हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 16 नवंबर, 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पीत करते हैं।[22]

निष्कर्ष

उपरोक्त तथ्यों, कथनों, अध्ययनों एवं विवरणों के आधार पर हम कह सकते है कि संविधान निर्माण में भी सरदार पटेल ने नेतृत्वकारी एवं निर्णायक भूमिका का निर्वाह किया था। वे संविधान निर्मात्री सभा की तीनों उपसमितियों के अध्यक्ष भी रहे थे। सरदार पटेल ने अल्पसंख्यक समिति में, अल्पसंख्यकों के संरक्षण का विरोध किया था। प्रांतीय संविधान समिति के द्वारा उनके विचारों को संविधान में समाविष्ठ किया गया था। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पडने पर राष्ट्रपति राज्यों का शासन अपने हाथों में ले सकता है। अतः उन्होंने केंद्र–राज्य संबंधों को स्पष्ट किया था। सरदार पटेल ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने में अहम भूमिका निभायी थी। सविधान सभा में उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि "हिंदी भारत की राष्ट्रीय अथवा राजभाषा होगी और होनी चाहिए।" इस प्रश्न पर कोई विरोध नहीं रहने दे सकते। सरदार पटेल ने राज्य में स्थिरता, दृढ़ता तथा न्याय के लिए निष्पक्ष तथा साफ–सुथरे चुनावों की आवश्यकता पर बल देते हुए संविधान सभा में सुझाव दिया स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएं। जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष व्यवस्थाओं से संबंधित अनुच्छेद–370 के प्रावधान। इसके लिये उन्हें बहुत से ऐतिहासिक लेने पड़े थे, वे सदैव

अनुकरणीय हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सदार पटेल राजनितिक, एवं सामाजिक समानता तथा राष्ट्रीय एकता के बेजोड़ शिल्पी थे। क्योकि देश को एकता में पिरो ने के लिए उन्होंनें हिन्दी को राष्ट्रभाषा तथा स्थिरता, दृढ़ता तथा न्याय के लिए निष्पक्ष संविधान सभा में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के गठन पर जोर दिया था। आने वाली पीढ़ीया उनको आधुनिक राष्ट्र निर्माता तथा राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में याद करती रहेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *इजि. प्रेमलाल सिंह एवं सुधा सिंह, अखंड भारत के निर्माता, सरदार पटेल, आकाशदीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2012 पृ.स. 79।*
2. *डॉ. एन. सी. मेहरोत्रा एण्ड डॉ. रंजना कपूर, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एवं विचार, आत्माराम एण्ड सन्स प्रकाशन, दिल्ली, 2012, पृ.स. 170–171।*
3. *रविन्द्र कुमार, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामाजिक व राजनीतिक विचार, मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1991, पृ.स. 115।*
4. *डॉ. एन. सी. मेहरोत्रा एण्ड डॉ. रंजना कपूर, पूर्वोक्त, पृ.स. 170–171।*
5. *रविन्द्र कुमार, पूर्वोक्त, पृ.स. 116–117।*
6. *डॉ. एन. सी. मेहरोत्रा एण्ड डॉ. रंजना कपूर, पूर्वोक्त, पृ.स. 171।*
7. *रविन्द्र कुमार, पूर्वोक्त, पृ.स. 117।*
8. *शरद सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2016, पृ.स. 179।*
9. *रविन्द्र कुमार, पूर्वोक्त, पृ.स. 118।*
10. *रविन्द्र कुमार, उपरोक्त, पृ.स. 118।*
11. *रविन्द्र कुमार, उपरोक्त, पृ.स. 118–119।*
12. *रविन्द्र कुमार, उपरोक्त, पृ.स. 118–119।*
13. *रविन्द्र कुमार, उपरोक्त, पृ.स. 119।*
14. *डॉ. रविन्द्र कुमार, सरदार पटेल के प्रमुख , कल्पाज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2014, पृ.स. 143–144।*
15. *इजि. प्रेमलाल सिंह एवं सुधा सिंह, पूर्वोक्त, पृ.स. 77।*
16. *वी. शंकर, सरदार पटेल–चुना हुआ पत्र व्यवहार, भाग–1, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, 1976, पृ.स. 221।*
17. *रविन्द्र कुमार, पूर्वोक्त, पृ.स. 122–123।*
18. *डॉ. एन. सी. मेहरोत्रा एण्ड डॉ. रंजना कपूर, पूर्वोक्त, पृ.स. 172।*
19. *शरद सिंह, पूर्वोक्त, पृ.स. 178।*
20. *रविन्द्र कुमार, पूर्वोक्त, पृ.स. 120।*
21. *डॉ. एन. सी. मेहरोत्रा एण्ड डॉ. रंजना कपूर, पूर्वोक्त, पृ.स. 172–173।*
22. *इजि. प्रेमलाल सिंह एवं सुधा सिंह, पूर्वोक्त, पृ.स. 79।*